पट्टानामा जरई

सालाना लगान /रुपयें

स्टाम्प /रुपयें

स्टाम्प कमांक दिनांक

कितात + + + + + +

= /रुपयें

म्याद

हम

प्रथम पक्ष

व

द्धितीय पक्ष जो कि अराजी जरई अनुसूची मे दिखाई गई का प्रथम पक्ष पूर्ण रुप से मालिक बरूये फर्द जमाबन्दी साल ------ है आराजी उक्त पर द्धितीय पक्ष का कब्जा दिनांक ------- से बतौर पटटेदार मु0---------- रुपये प्रति कीला पर बतौर प्रिमियम के रुप मे देनी इकरार की हैं । जिसकी बाबत किरायानामा व बटाईनामा दिनांक-------- को किया गया है, जिसका पटटानामा तहरीर करना प्रथम पक्ष व द्धितीय पक्ष उचित समझते है । पर उन्होने किसी प्रकार का कोई भार पैदा नही किया हुआ है । आराजी उक्त पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नही चल रहा है । सो अब पक्ष प्रथम व द्धितीय पक्ष उक्त पटटानामा दिनांक----------तक के लिये तहरीर करते है कि प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त मुबलिग.....रुपये प्रति किला सालाना लगान पर द्धितीय प्क्ष को निम्न लिखित शर्तो पर दी है।

1- यह कि मोके पर कब्जा द्धितीय पक्ष का दिनांक.....से दे दिया है और यह पटटा दिनांक.....तक की अवधि तक वैध रहेगा।

2- प्रिमियम व जरे लागान की इस अवधि के दौरान द्वितिय पक्ष किराये के रुप मे प्रथम पक्ष को .....रुपये प्रति किला के हिसाब से नगद व प्रिमियम अदा कर देगा।

3- यह कि उक्त अवधि के दौरान सरकारी लगान, पानी एंव बिजली का खर्च प्रथम पक्ष स्वंय सहन करता रहा है अब भी करेगा। जिसके बारे मे प्रथम पक्ष कोई एतराज पैदा नहीं करेगा।

4- यह कि द्धितीय पक्ष प्रथम पक्ष को उक्त भूमि पर उत्पादित कुल फसल का ----- हिस्सा प्रिमियम हिस्सा पुलाव भूसा इत्यादि प्रिमियम के रूप में देता रहा है व दिया जावेगा ।

5-यह कि उक्त अवधि के दौरान उक्त भूमि पर खेती करने के लिये सभी खर्च द्धितिय पक्ष वहन करेगा । इस अवधि के दौरान किसान की जमीन पर जो टयूबैल है उसका द्धितिय पक्ष इस्तेमाल करेगाा और बिजली का खर्च द्धितिय पक्ष, प्रथम पक्ष को दे देगा ।

6- यह कि उक्त अवधि के दौरान उक्त भूमि पर द्धितिय पक्ष द्धारा खेती करने के लिये खेती उत्पादन को बेचने के लिये जरूरी बीज,खाद,ट्रैक्टर,ट्राली इत्यादी का प्रबन्ध द्धितिय प्क्ष के कहने पर प्रथम पक्ष करवाएगा,द्धितिय पक्ष बीज,खाद,ट्रैक्टर,ट्राली इत्यादी जो भी खर्च होगा द्धितिय पक्ष, प्रथम पक्ष को दे देगा ।

7-यह कि उक्त अवधि तक प्रथम पक्ष ने किसी भी अन्य व्यक्ति को कृर्षि या अन्य कार्य करने हेतू भूमि को बटाई किराये,साझेदारी के रूप में किसी प्रकार का कब्जा ना तो दिया था और ना ही देगा तथा ना ही ऐसा काम करेगा । जिसके परिणाम स्वरूप द्धितिय पक्ष को उक्त भूमि पर खेती करने में कोई बाधा या आर्थिक हानि हो ।

8- यह कि उक्त अवधि समाप्त होने पर उक्त भूमि द्धितिय पक्ष, प्रथम पक्ष को वापिस कर देगा ।

9- यह कि उक्त अवधि के दौरान भूगतान की रसीद प्रथम पक्ष, द्धितिय पक्ष को देगा ।

10-यह कि उक्त अवधि के दौरान प्रथम पक्ष व द्धितिय पक्ष के बीच कोई विवाद होता है तो पंच फैसला दोनो पक्षो को मान्य होगा ।

अतः यह पटटा नामा लिख दिया है कि सनद रहे समय पर काम आवे

तारीख----------

अनुसूची

अनुसूची

खेवट/खतौनी/खसरा न.....तादादी.....कनाल.....मरला/बिघा.....विस्वा का .....
हिस्सा मिजरिंग.....कनाल.....मरला/.....बिघा.....विस्वा/.....
.वर्गगज/.....वर्गमीटर स्थित गांव/शहर.....हदबस्त न. .....
तहसील.....जमाबन्दी वर्ष.....।

गवाह

प्रथम पक्ष

गवाह

द्वितिय पक्ष